



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



सत्यमेव जयते

Public Notice Dental Council of India

Dated : 11.10.2024

It is brought to the notice of all the stakeholders – dental colleges, students, faculty and parents and general public in large that Ragging is a criminal offence.


The Dental Council of India (DCI) emphasizes its unwavering commitment to eradicate ragging in all dental institutions across the country and to maintain a safe and respectful educational environment.

The DCI has framed 'DCI Regulations on curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009' in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging in dental colleges / institutions. All the dental colleges must take necessary steps for its implementation under intimation to the DCI.

1. **Zero Tolerance Policy:** The DCI has implemented a strict zero-tolerance policy towards ragging.
2. **Reporting of Ragging Incident:** Institutions are required to maintain a clear and accessible reporting system. Any ragging incidents should be reported to the institution's authorities immediately.
3. **Awareness Initiatives:** Dental colleges should conduct awareness campaigns about the harmful effects of ragging and to promote a culture of inclusivity and respect frequently.
4. **Support for Victims:** Institutions should provide counseling and support services for victims of ragging, ensuring their safety and well-being.

The Dental Council of India urge all stakeholders — dental colleges, students, faculty, and parents — to collaborate in creating a safe and respectful educational environment. Together, we can eliminate ragging and ensure a nurturing atmosphere for all students.

Students in distress owing to ragging related incidents can access the UGC at Toll Free Helpline 1800-180-5522 or Dental Council of India at 011-40194297, 011-40108512.


Secretary Incharge
Dental Council of India

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग भवन, प्लॉट नं. 14 सैक्टर-9, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022
National Dental Commission Building, Plot No.14, Sector-9, R.K. Puram, New Delhi-110022
E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाइट/Website : www.dciindia.gov.in



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA



सार्वजनिक सूचना
भारतीय दंत परिषद

दिनांक : 11.10.2024

सभी हितधारकों - दंत चिकित्सा महाविद्यालयों, छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि रैगिंग एक आपराधिक अपराध है।

भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) देश भर के सभी दंत चिकित्सा संस्थानों में रैगिंग को समाप्त करने तथा सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता पर बल देता है।

डीसीआई ने दंत कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की समस्या को रोकने और खत्म करने के लिए 'दंत कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009' फ्रेम किया है। सभी दंत कॉलेजों द्वारा डीसीआई को सूचित करते हुए इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

1. शून्य सहनशीलता नीति: डीसीआई ने रैगिंग के प्रति सख्त शून्य सहनशीलता नीति लागू की है।
2. रैगिंग की घटना की रिपोर्टिंग: संस्थानों को एक स्पष्ट और सुलभ रिपोर्टिंग प्रणाली बनाए रखने की आवश्यकता है। किसी भी रैगिंग की घटना की सूचना तुरंत संस्थान के अधिकारियों को दी जानी चाहिए।
3. जागरूकता पहल: दंत चिकित्सा महाविद्यालयों को रैगिंग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए तथा समावेशिता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।
4. पीड़ितों के लिए सहायता: संस्थाओं को रैगिंग के पीड़ितों के लिए परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, तथा उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए।

भारतीय दंत परिषद सभी हितधारकों - डेंटल कॉलेज, छात्र, संकाय और अभिभावकों से एक सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाने में सहयोग करने का आग्रह करता है। साथ मिलकर हम रैगिंग को खत्म कर सकते हैं और सभी छात्रों के लिए एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं।

रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशान छात्र यूजीसी के टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-5522 या डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के 011-40194297, 011-40108512 पर संपर्क कर सकते हैं।

प्रभारी सचिव
भारतीय दंत परिषद

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग भवन, प्लॉट नं. 14 सैक्टर-9, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110022
National Dental Commission Building, Plot No.14, Sector-9, R.K. Puram, New Delhi-110022
E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाइट/Website : www.dciindia.gov.in